आपराधिक अपील सं 665-666 **ऑफ** 2011

[गैर-रिपोर्टयोग्य]

भारत के उच्चतम न्यायालय में

आपराधिक अपील न्यायाधिकरण

आपराधिक अपील सं 665-666 ऑफ 2011

अजमेर सिंह और अन्य **.....अपीलकर्तागण**

बनाम

हरियाणा राज्य **..... उत्तरदातागण**

निर्णय

राजेश बिंदल, जे.

1. शुरुआत में, अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अजमेर सिंह पुत्र जीवन सिंह इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण, उसकी अपील समाप्त हो जाती है।

2. अपीलकर्तागण की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद, 10 मई, 2010, दिनांकित आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। आक्षेपित आदेश के आधार पर, उच्च न्यायालय ने (1) जीवन सिंह के पुत्र अजमेर सिंह द्वारा (2) अजमेर सिंह के पुत्र मान सिंह द्वारा (3) गुरध्यन सिंह अजमेर सिंह के पुत्र (4) शमशेर सिंह के पुत्र सुरिन्दर सिंह और (5) जीवन सिंह के पुत्र नानक सिंह के द्वारा दायर आपराधिक अपील सं 2001 की 843 एस.बी का निपटारा कर दिया है, जिनमें से अजमेर सिंह के विरुद्ध अपील समाप्त हो गई है। आपराधिक पुनरीक्षण न. 475/2002 और 778/2003 का भी उसी आदेश द्वारा निपटारा किया गया था। अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 149 के साथ पठित धारा 148,323,325 और 307 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था।उन्हें धारा 149 के साथ पठित धारा 148 के तहत छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और साथ ही धारा 149 के साथ पठित धारा 323 के लिए, धारा 149 आईपीसी के साथ पठित धारा 325 के तहत दो साल और धारा 149 आईपीसी के साथ पठित धारा 307 के तहत सात साल की सजा सुनाई गई थी।

3. उच्च न्यायालय ने 10 मई, 2010 के आदेश द्वारा अपीलकर्तागण की अपील खारिज कर दी। तथापि, 28 मई, 2010, दिनांकित पश्चातवर्ती आदेश द्वारा,

उच्च न्यायालय द्वारा सजा देने वाले भाग को संशोधित किया गया था। उक्त उपांतरण के लिए कहा गया कारण यह था कि कथित अपील में 28 मई, 2010, दिनांकित एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 307 के तहत दंडादेश को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया था, लेकिन उक्त उपांतरण को विस्तृत निर्णय में शामिल नहीं किया गया था।

4. यह एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आईं। एफआईआर नं.75 तारीख 27.3.1997 जगदीश चंद के शिकायत पर दर्ज की गयी थी, जिसमें जगदीश चंद ने आरोप लगाया कि 27.3.1997 की सुबह लगभग 8.00 बजे सुरेंद्र सिंह ने विवादित मार्ग, घर के बारा से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने की कोशिश की। जगदीश चंद के भतीजे राजेश कुमार ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए कहा। आरोपी मान सिंह, अजमेर सिंह, नानक सिंह और गुरधियान सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे थे। उन्होंने राजेश कुमार और जगदीश चंद पर लाठी से हमला किया।इसके बाद, लाजवंती (रवि कुमार, राजेश कुमार और संजीव कुमार की मां) के सिर पर लाठी चलाई गई।शोर मचाने पर, रवि कुमार और संजीव कुमार (जगदीश चंद के भतीजे) उन्हें बचाने आए।गुरधियान सिंह ने राजेश कुमार के सिर पर कस्सी (कुदाल) मारी।नानक सिंह ने रवि कुमार को लाठी मारी, जबकि सुरिंदर सिंह ने संजीव कुमार को लाठी मारी। शोर शराबा सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।घायलों को अस्पताल ले जाया गया और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई।

5. इसके विपरीत, अपीलकर्तागण को कई चोटें आईं। पीएचसी पंजोकरा में उनकी चिकित्सकीय जांच भी की गई।

6. बचाव पक्ष के अनुसार, अजमेर सिंह की पत्नी हरबंस कौर और लाजवंती के बीच झगड़ा हुआ था। नतीजतन, दोनों पक्षों के पुरुष सदस्य एकत्र हो गए और स्वतंत्र लड़ाई हुई।

7. पक्षों के बीच विवाद, जैसा कि दावा किया गया था, अपीलकर्तागण द्वारा विवादित मार्ग के उपयोग के संदर्भ में था। चूंकि लड़ाई में दोनों पक्षों को चोटें आईं, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

8. अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि हाथ के मामले में, शिकायतकर्ता पक्ष आक्रामक था क्योंकि दिन-प्रतिदिन के आधार पर वे उन्हें डांटते थे जब वे भूमि पर मार्ग का उपयोग कर रहे थे, जो कि ग्राम पंचायत के नाम पर है।शिकायतकर्ता पक्ष भूमि के उस हिस्से को अपना मान रहा था।वास्तव में, 27.3.1997 को घटना के तुरंत

बाद शिकायतकर्ता पक्षकार, अर्थात् कुंदन के पुत्र जगदीश चंद और कृष्ण द्वारा अजमेर सिंह, जीवन सिंह और ध्यान सिंह के पुत्र नानक सिंह, अजमेर सिंह के पुत्र मान सिंह और शमशेर के पुत्र सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था। वाद में प्रार्थना यह थी कि उसमें प्रतिवादियों को वादी के बारा का उपयोग मार्ग के रूप में करने से रोका जाए।वाद 31.3.1997 को दायर किया गया था, जिसे 15.1.2003 को खारिज कर दिया गया था।खसरा नं.117 से संबंधित वादी के पक्ष में व्यादेश की कोई डिक्री पारित नहीं की गई थी , जिसे वादी की संपत्ति होने का दावा किया गया था क्योंकि यह ग्राम पंचायत के स्वामित्व में पाया गया था और रफियाम के लिए आरक्षित था।

9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलकर्तागण पक्ष के कई व्यक्तियों को भी चोटें आईं और उनमें से कुछ गंभीर पाए गए। हालांकि, नीचे की अदालतें इस पर विचार करने में विफल रही हैं।दरअसल, यह आत्मरक्षा का मामला था।घटना शिकायतकर्ता पक्ष के परिसर के बाहर हुई थी, इसलिए अपीलकर्तागण को आक्रामक नहीं कहा जा सकता है। इरादा स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था।वे केवल अपने साथ अपने कृषि उपकरण ले जा रहे थे और खेतों में जाने का यह सामान्य समय था क्योंकि घटना लगभग 8.00 a.m. पर हुई थी। आरोप यह है कि अपीलकर्तागण ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे थे, जब शिकायतकर्ता पक्ष के उकसावे पर, घटना हुई।

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ताओं को आक्रामक पाया गया था।उन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष को गंभीर चोटें पहुंचाई थीं।भले ही उन्हें कुछ चोटें आईं, लेकिन वे निजी रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे।घायल गवाहों के बयानों के रूप में साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। घायल गवाहों के अलावा, स्वतंत्र गवाहों को भी पेश किया गया जिन्होंने अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि की ।

11. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया।

12. घटना की तारीख को लेकर कोई विवाद नहीं है। यह भी रिकॉर्ड पर नहीं आया है कि जिन अपीलकर्ताओं को हमलावर कहा गया था और जिन्हें दोषी ठहराया गया था, उन्होंने किसी भी हथियार का इस्तेमाल किया था या वे अपने पूर्व निर्धारित दिमाग के साथ घटना स्थल पर गए थे। यहां तक कि शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा स्थापित मामला यह था कि वे एक ट्रॉली में मार्ग से गुजर रहे थे।लड़ाई में कथित तौर पर लाठी और

कस्सी (कुदाल) का इस्तेमाल किया गया था। ये सामान्य कृषि उपकरण हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें अपीलकर्तागण अपनी ट्रॉली में ले जा रहे थे।

13. जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है, विवाद अपीलकर्तागण द्वारा मार्ग के उपयोग के संबंध में था जिसे शिकायतकर्ता पक्ष अपना होने का दावा कर रहा था। एक अन्य तथ्य जो रिकॉर्ड में आया है, वह यह है कि घटना के तुरंत बाद शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा दायर एक दीवानी मामले में एक डिक्री है, जिसमें यह माना गया था कि मार्ग ग्राम पंचायत का है और वही रफियाम है।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायतकर्ता पक्ष को चोटें लगी हैं। हालांकि, तथ्य यह है कि आरोपी पक्ष को भी चोटें आई हैं।उच्च न्यायालय के निर्णय में, अपीलकर्तागण को लगी चोटों पर उचित विचार नहीं किया गया है। पूरा जोर शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा झेली गई चोटों या उनके नेतृत्व में सबूत पर है।अपीलकर्तागण की प्रतिरक्षा को छुआ नहीं गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी मत था कि घटना की जगह बारा और शिकायतकर्ता पक्ष के घर के बीच की जगह थी। मुद्दा अपीलकर्तागण द्वारा पारित मार्ग का उपयोग था जिस पर शिकायतकर्ता पक्ष आपत्ति उठा रहा था।

15. अभिलेख पर उस सामग्री को ध्यान में रखते हुए, जिस पर ऊपर चर्चा की गई है, जहां दोनों पक्षों को स्वतंत्र लड़ाई में चोटें आईं और मार्ग, जो लड़ाई का मूल कारण था, को ग्राम पंचायत और रफियाम के स्वामित्व वाला मार्ग माना गया है और जो शिकायतकर्ता पक्ष से संबंधित नहीं है, हमारी राय में, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।विचारण न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया जाता है।अपीलकर्तागण के जमानत बंध-पत्रों को डिस्चार्ज किया जाता है।

..... जे.

[अभय एस. ओका]

..…..... जे.

[राजेश बिंदल]

नई दिल्ली।11 अप्रैल, 2023

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।